

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-21/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 /01/2020

प्रति,

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नवा रायपुर,
अटल नगर।

2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नवा रायपुर,
अटल नगर।

विषय:- Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 kv D/c Dharamjaigarh- Raigarh (Tamnar) Pool Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha- regarding.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-173 /2871, दिनांक 22.11.2019।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रकरण में वनमंडलाधिकारी धर्मजयगढ़ की आपत्ति को देखते हुए निम्न बिंदुओं पर टीप सहित अद्यतन जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. जो So - Called वन्यप्राणियों का विचरण क्षेत्र है, क्या वह Undulating Land है ?
2. क्या NGT Guidelines के अनुसार Flat एवं Undulating Land में Transmission Line की Minimum Height (Including Slag also) Maintain की जा रही है अथवा नहीं ?
3. हाथियों के Electrolucation के तारतम्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समय-समय पर दिये गये निर्देश तथा Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi के प्रकरण क्रमांक 844/2018 में दिये गये आदेश दिनांक 16.05.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 05/2018, दिनांक 15.11.2018 द्वारा जारी आदेशों तथा उसमें वर्णित Precautions लिए जा रहे हैं अथवा नहीं ?
- 2/- उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

Rajpoot

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमांक 2